न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —71/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/116

1. सुरेश कुमार पुत्र रामकुंवार जाति लश्करी निवासी ग्राम पीपलहेडी तहसील लाडपुरा हाल निवास ग्राम रंगतालाव उर्फ काला तालाब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. कमला बाई पत्नी रामकुंवार जाति लश्करी निवासी ग्राम पीपलहेडी तहसील लाडपुरा हाल निवास ग्राम रंगतालाव उर्फ काला तलाब, तहसील लाडपुरा

—अपीलाण्ट.

वनाम

1. आशा बाई पुत्री रामकुंवार जाति लश्करी
2. मनभर बाई पुत्री रामकुंवार जाति लश्करी
3. सोनू कुमार पुत्र रामकुंवार जाति लश्करी
4. संतोष पत्नी रामकुंवार जाति लश्करी
   निवासीगण ग्राम पीपलहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 07.07.2024 सपठित इंतकाल नम्बर 1359 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः—

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री तेजमल जैन, आशीष जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 3

निर्णय

दिनांक— 15.04.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अरल्या जागीर स्थित खाता संख्या 201 की खसरा नम्बर 200 रकबा 4.33 हे0 भूमि रामकुंवार पुत्र जगन्नाथ के 1/12 हिस्से से दर्ज रिकार्ड थी, खातेदार फौत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण, पत्र शपथ पत्र गवाह के आधार पर मृतक के वारिसान का नामान्तरकरण संख्या 1359 दिनांक 7.7.2024 को दर्ज कर तस्दीक किया गया ।

2. उपरोक्त नामान्तकरण सं0 1359 दिनांक 07.07.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 21.07.2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश सपठित इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट कम 1 रामकुंवार आत्मज जगन्नाथ जाति लश्करी निवासी निवासी ग्राम पीपलहेडी तहसील लाडपुरा का पुत्र है तथा अपीलान्ट कम 2 रामकुंवार आत्मज जगन्नाथ जी की विवाहिता पत्नी है, रामकुंवार जी के नाम संयुक्त खाते में ग्राम अरल्या जागीर में खसरा नम्बर 200 रकबा 4.33 हे0 आराजी स्थित है । इस प्रकार अपीलान्ट रामकुंवार के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के बावजूद भी न तो सुनवायी का अवसर प्रदान किया और न ही अपीलान्ट का नाम ही फोती इंतकाल में तस्दीक किया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन, आशीष जैन का वकालतनामा पेश हुआ, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलांट एवं उपस्थित रेस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट कम 1 रामकुंवार आत्मज जगन्नाथ जाति लश्करी निवासी ग्राम पीपलहेडी तहसील लाडपुरा का पुत्र है तथा अपीलान्ट कम 2 रामकुंवार आत्मज जगन्नाथ जी की विवाहिता पत्नी है, रामकुंवार जी के नाम संयुक्त खाते में ग्राम अरल्या जागीर में खसरा नम्बर 200 रकबा 4.33 हे0 आराजी स्थित है । इस प्रकार अपीलान्ट रामकुंवार के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के बावजूद भी न तो सुनवायी का अवसर प्रदान किया और न ही अपीलान्ट का नाम ही फोती इंतकाल में तस्दीक किया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट की माता कमला बाई पिता गणेशराम जाति लश्करी निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तलाब है, गणेशराम जी ने अपनी पुत्री कमला बाई का विवाह पीपलहेडी निवासी रामकुंवार आत्मज जगन्नाथ के साथ विधिवत रूप से सामाजिक प्रथा अनुसार विवाह किया, इस प्रकार अपीलान्ट कम 2 मृतक रामकुंवार जी की विवहिता पत्नी है तथा अपीलान्ट कम 2 ने रामकुंवार जी के नुत्फे से अपीलान्ट कम 1 को जन्म दिया बाद में अपीलान्ट कम 2 व रामकुंवार जी के मध्य पारिवारिक विवाद हो जाने से गणेशराम जी नाना अपीलान्टा को लेकर रंगतालाब उर्फ काला तलाब आ गये, जहां निवास करने लगे । बाद में रामकुंवार जी द्वारा अन्य विवाह त्रुटिपूर्ण रूप से कर लेने से रेस्पोडेन्ट पैदा हुए । उक्त तथ्य की जांच किये बिना ही योग्य अधीनसथ न्यायालय ने अपीलान्ट के नाम इंतकाल तस्दीक नहीं कर रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश सपठित इंतकाल से अपीलान्ट के अधिकार खतम नहीं होते है न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे की जांच की गयी, अपीलान्ट प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद भी अपीलान्ट के नाम इंतकाल तस्दीक नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सपठित इंतकाल निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रामकुंवार पुत्र जगन्नाथ के वारिसान की जांच करने हेतु रिमाण्ड फरमायी जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय की मार्कशीट आदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि मृतक खातेदार रामकुंवार अपीलांट के पिता एवं पति है । अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहों के शपथ पत्र एवं बाद जांच विरासत का इंतकाल तस्दीक किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपील बिना आधार के प्रस्तुत की गई जो खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के विरासत का इंतकाल संख्या 1359 दिनांक 7.7.2024 के विरूद्व दिनांक 21.7.2025 को पेश की गई है जो लगभग एक वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो निर्धारित समयावधि में नहीं है किन्तु विलम्ब के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन इंतकाल की प्रथम जानकारी 16.6.2025 को रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर होना बताया है । तत्पश्चात विधिक राय लेकर इंतकाल की नकल दिनांक 18.6.2025 को प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की है तथा दिनांक 7.7.2024 से जानकारी की तिथि 16.6.2025 को कन्डोन करने का निवेदन किया है । वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ओर ना ही दौराने बहस मियाद के बिन्दु पर विरोध किया है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी की तारीख 16.6.2025 को होना मानते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. वकील अपीलांट का प्रस्तुत अपील में तर्क है कि अपीलांट नं0 1 मृतक खातेदार रामकुंवार जाति लश्करी निवासी पीपलहेडी का पुत्र एवं अपीलांट नं0 2 रामकुंवार की पत्नी होने से रामकुंवार जी के विधिक वारिस है तथा रामकुंवार जी के फोत होने पर उनके खातेदारी की भूमि ग्राम अरल्या जागीर के खसरा नम्बर 200 रकबा 4.33 हे0 में अन्य वारिसान के साथ साथ उनका भी अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण में नाम दर्ज होना चाहिए । अपीलांट का यह भी तर्क है कि अपीलांट क्रम 2 रामकुवार जी की विवाहिता पत्नी है, रामकुंवार जी व अपीलांट नं0 2 के पारिवारिक झगड़ा होने पर अपीलांट नं0 1 के नाना उन्हें रंगतालाब उर्फ काला तालाब लेकर आ गये, तब से ही अपीलांटगण रंगतालाब में निवास कर रहे है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अपीलांट ने अपने कथनों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज राशनकार्ड, शिक्षा सम्बन्धी, आधार कार्ड, कोई भी सरकारी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें अपीलांट के पिता पति के स्थान पर रामकुंवार जी का नाम हो, अर्थात वल्दियत प्रमाणिकरण के कोई दस्तावेज नहीं होने से अपील खारिज करने का अनुरोध किया है ।

8. उभयपक्ष के प्रस्तुत तर्को से यह तथ्य प्रकट हुए है कि अपीलांटगण द्वारा मृतक खातेदार रामकुंवार जी का पुत्र व पत्नी होना बताया है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है किन्तु अपील के साथ मृतक खातेदार रामकुंवार जी का पुत्र व पत्नी होने का अर्थात वल्दियत प्रमाणिकरण हेतु कोई भी सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है । केवल गवाह छीतरलाल आत्मज धन्नालाल लश्करी निवासी पीपलहेडी व परमानन्द आत्मज मांगीलाल जाति लश्करी का शपथ प्रस्तुत किया है, जो अपीलांटगण को रामकुंवार जी के वारिस होने के पर्याप्त आधार नहीं है । वैसे भी नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है, जिसके जरिये हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है । हक अधिकार नियमित वाद के जरिये ही सम्भव है । अपीलांट हक व अधिकारों की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपने हक व अधिकारों की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1359 दिनांक 7.7.2024 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

10. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा